न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी के समक्ष

मंगत-याचिकाकर्ता

बनाम

राम पियारी और अन्य-प्रतिवादी

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 360/1982

12 मई 1982

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - आदेश 6 नियम 17 - एक संयुक्त डिक्री को चुनौती देते हुए दायर किया गया मुकदमा - कुछ डिक्री धारकों को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया - छूटे हुए डिक्री धारकों को पक्षकार बनाने के लिए संशोधन के लिए आवेदन - संशोधन का इस आधार पर विरोध किया गया कि छूटे हुए डिक्री धारक के खिलाफ मुकदमा समय से बाधित था - सीमा का प्रश्न - क्या संशोधन की अनुमति देने के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि परिसीमा के प्रश्न का निपटारा वादपत्र को पढ़ने के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि वादपत्र के फ्रेम पर, मुकदमा परिसीमा के भीतर है, लेकिन उसमें की गई कुछ वैकल्पिक प्रार्थनाएं ऐसी नहीं हैं, तो परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण वादपत्र को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं है बल्कि कानून और तथ्य का मिला-जुला सवाल खड़ा करता है। चुनौती के तहत एक डिक्री शुरू से ही शून्य हो सकती है या कुछ तथ्यों की स्थापना पर टाले जाने योग्य

अमान्य हो सकती है। इसलिए, अदालत के लिए पार्टियों को डिक्री में शामिल किए बिना वाद में संशोधन की प्रार्थना को खारिज करना सही नहीं है। (पैरा 4)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री डी.डी.यादव, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कुरूक्षेत्र के 6 जनवरी, 1982 के याचिका को खारिज करने के आदेश के पुनरीक्षण के लिए।

दावा:-कब्जे के लिए मुकदमा।

याचिकाकर्ता के वकील वी.के. बाली।

प्रतिवादियों की ओर से वकील एस.एस.राठौड़।

निर्णय

एम. एम. पुंछी, न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) मुकदमे में दो और प्रतिवादियों को पक्षकार के रूप में जोड़कर वाद में संशोधन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत वादी-याचिकाकर्ता का आवेदन ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। वह आदेश इस पुनरीक्षण याचिका में चुनौती का विषय है।

(2) इस बात को जन्म देने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं कि श्रीमती चावली, एक विधवा, के पास लगभग 750 कनाल की काफी कृषि भूमि थी। कहा जाता है कि वादी-याचिकाकर्ता श्रीमती चावली

के पति के रिश्तेदार हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के साथ-साथ जिन दो अन्य व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग की गई है, उनके बारे में कहा जाता है कि वे श्रीमती चावली के पैतृक पक्ष से संबंधित थे। कहा जाता है कि 8 मार्च, 1976 को श्रीमती चावली को प्रतिवादी राम पियारी और उनके दो बच्चों रुर सिंह और एंग्रेजो के पक्ष में एक डिक्री का सामना करना पड़ा, जिसके तहत उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 531 कनाल 12 मरला भूमि उनके पक्ष में हस्तांतरित कर दी है। कहा जाता है कि बाद में 19 अप्रैल, 1970 को उन्होंने राम प्यारी के पक्ष में शेष संपत्ति के संबंध में एक वसीयत निष्पादित की थी। श्रीमती चावली की मृत्यु पर, वर्तमान मुकदमा वर्तमान वादी की पूर्ववर्ती हितैषी श्रीमती मनभारी द्वारा स्थापित किया गया था, उन्होंने खुद को श्रीमती चावली के पति की बहन होने का दावा किया था। उसमें दावा की गई राहत विवाद में संपत्ति के कब्जे के लिए है। उक्त मुकदमे में केवल राम प्यारी और चंदगी को पक्षकार बनाया गया था। हालाँकि, डिक्री के तहत लाभार्थियों के रूप में दो अन्य डिक्री-धारकों को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। मुकदमे में काफी प्रगति हुई और वह प्रतिवादी के साक्ष्य के चरण में था जब संशोधन आवेदन में छूटे हुए दो डिक्री-धारकों को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर प्रार्थना अस्वीकार कर दी कि जिस डिक्री को मुकदमे में चुनौती दी गई थी वह 8 मार्च 1976 की थी और मुकदमा 9 अक्टूबर 1978 को उस समय दायर किया गया था जब वादी को यह पता था कि तीन मामले थे। उक्त डिक्री के डिक्री-धारक और उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट ने आगे यह विचार किया कि चूंकि किसी डिक्री को एक वर्ष की अवधि के भीतर चुनौती दी जा सकती है और मुकदमा दायर होने के तीन साल से अधिक समय बाद आवेदन किया गया है और यह कि की गई प्रार्थना बहुत देर से की गई थी और रुर सिंह और एंग्रेजो के खिलाफ मुकदमा कालातीत हो गया था। इस मामले का यही दृष्टिकोण अब चुनौती के अधीन है।

(3) इस विषय पर एक स्वस्थ बहस छिड़ गई है कि, परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 59 या अनुच्छेद 65 लागू होगा या नहीं। पूर्व अनुच्छेद के तहत, किसी डिक्री को रद्द करने या रद्द करने की समय सीमा तीन साल है और यह अवधि उस तारीख से मानी जाएगी जब वादी को डिक्री को रद्द करने या रद्द करने का अधिकार देने वाले तथ्य पहली बार उसे ज्ञात होंगे। हालाँकि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में व्यक्त किया है कि परिसीमा की अवधि एक वर्ष थी, लेकिन पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत थे कि अनुच्छेद 59 के तहत इसका मतलब तीन साल की अवधि थी। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का कहना है कि केवल यह अनुच्छेद ही लागू होता है और संशोधन के लिए प्रार्थना तीन साल के अंतराल के बाद की गई है, क्योंकि, कम से कम मुकदमे की तारीख पर, वादी को डिक्री और उसके पक्षों के बारे में जानकारी थी। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का दावा है कि अनुच्छेद 65 मुकदमे में दावा की गई राहत के लिए लागू है, जो कब्जे के लिए है और उसके लिए निर्धारित परिसीमा की अवधि बारह वर्ष मानी जाएगी जब प्रतिवादी का कब्ज़ा वादी के प्रतिकूल हो जाता है। वकीलों ने न्यायिक उदाहरणों द्वारा अपने संबंधित तर्कों का समर्थन किया है, लेकिन मैं इस याचिका के निपटान के प्रयोजनों के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव नहीं करता हूं।

(4) यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि परिसीमा का प्रश्न वादपत्र को पढ़ने के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यदि वादपत्र के फ्रेम पर, मुकदमा परिसीमा के भीतर है, लेकिन उसमें की गई कुछ वैकल्पिक प्रार्थनाएं ऐसी नहीं हैं, तो परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण वादपत्र को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं है बल्कि कानून और तथ्य का मिला-जुला सवाल खड़ा करता है। वादी में एक सकारात्मक दावा है कि चुनौती के तहत डिक्री मिलीभगतपूर्ण थी और ऐसा डिक्री तथ्यात्मक नहीं था। यदि वादी का दावा

सही है कि डिक्री गैर-स्थायी है, तो डिक्री शून्य हो जायेगी और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निरर्थक आदेश या आदेश, हालांकि उचित रूप से अलग रखे जाने योग्य हैं, फिर भी पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने में सक्षम हैं। लेकिन, दूसरी ओर, अगर डिक्री शुरू से ही शून्य नहीं है, बल्कि रद्द करने योग्य है, कुछ तथ्यों की स्थापना पर टाला जा सकता है, तो अलग-अलग विचार लागू होते हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका में संशोधन करने और पक्षों को पक्षकार बनाने की प्रार्थना को खारिज करते हुए मामले के इस पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसलिए, अधिक विस्तार किए बिना, ऐसा न हो कि इससे किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, विवादित आदेश को रद्द करना आवश्यक होगा और मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया जाए, ताकि संशोधन की अनुमति दी जा सके, जोड़े गए पक्षों को बुलाया जा सके और फिर परिसीमा का प्रश्न, यदि उठाया गया है, तो कानून के अनुसार उचित तरीके से तय किया जा सके।

(5) तदनुसार, इस याचिका को अनुमति दी जाती है और उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 28 मई, 1982 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Karandeep

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh